भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3062

उत्तर देने की तारीख: 15.03.2021

समग्र शिक्षा अभियान

†3062. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

श्री कुलदीप राय शर्मा:

डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

श्री डी.एन.वी. □□□□□□□□□□□ एस.:

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) जो कि विद्यालयी शिक्षा के लिए एकीकृत योजना है अपने उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही है जिनके लिए इसका सृजन किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) तमिलनाडु, महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार सहित सभी राज्यों में उक्त अभियान को कार्यान्वित करते समय सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा;

(ग) माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उन्नत किए गए स्कूलों की संख्या कितनी है और तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र से प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन के आधार पर ऐसे उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या कितनी है जहां अतिरिक्त विषय की विधाओं को स्वीकृति दी गई है;

(घ) क्या सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन का आकलन किया है और यदि हां, तो इस आकलन के क्या परिणाम रहे तथा त्रुटियों के संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ड.) क्या सरकार उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष जोर दे रही है और यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके अंतर्गत अब तक क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): समग्र शिक्षा, प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह 2018-19 में शुरु किया गया था और इसमें तीन पूर्ववर्ती केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) शामिल हैं। एकीकृत योजना प्री-स्कूल, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में 'स्कूल' की परिकल्पना करती है। पहली बार, इस योजना

के तहत, पुस्तकालय अनुदान, खेल अनुदान, केजीबीवी सहित स्कूलों का वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक उन्नयन, उच्च-प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक आत्मरक्षा प्रशिक्षण, शिक्षक शिक्षा संस्थानों को वार्षिक अनुदान, टीईआई को प्रौद्योगिकी सहायता, पूर्व-प्राथमिक स्तर पर सहायता प्रदान की गई है। इस प्रकार, यह योजना कार्यान्वयन के लिए एकल और एकीकृत संरचना तैयार कर स्कूली शिक्षा में साइलो को दूर करने में सहायता कर रही है और स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रमुख कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पूर्व-प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) से (ङ): समग्र शिक्षा के तहत, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर वार्षिक योजनाएँ तैयार की जाती हैं और यह उनके संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी और बी) प्रस्तावों में परिलक्षित होता है। इसके बाद, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम सम्बन्धी और वित्तीय मानकों, निधि की उपलब्धता और पहले अनुमोदित की गई पहलों के लिए राज्य की भौतिक और वित्तीय प्रगति के अनुसार इन योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है और इन्हें अनुमोदन/ आकलित किया जाता है। तदनुसार, 2018-19 से 2020-21 तक तमिलनाडु के 6 माध्यमिक विद्यालयों का वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में उन्नयन के लिए अनुमोदन किया गया है। इस संबंध में महाराष्ट्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्ष 2020 में नीति आयोग द्वारा योजना का तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, यह योजना देश के लिए स्कूली शिक्षा हेतु अपने लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए महत्वपूर्ण/प्रासंगिक है और यह योजना समग्र रूप से स्कूल-आयु के अधिकांश लोगों के लिए शिक्षा तक पहुंच, शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सकल नामांकन अनुपात में सुधार करने के मामले में प्रभावी रही है। इसके अतिरिक्त, समग्र शिक्षा में समता का विचार मूलभूत है जिसमें न केवल समर्पित 'समता और समावेशिता पहल' शामिल हैं, बल्कि समावेश को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 'पहुँच' संबंधी पहलों के अंतर्गत अतिरिक्त प्रावधान भी हैं। इसके अलावा, इस योजना में एक मजबूत निगरानी और मूल्यांकन तंत्र है और इसके पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक बनाने के लिए प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों/विभागों और अन्य योजनाओं के साथ अनुरूपण किया जाता है। नीति आयोग अध्ययन ने अधिगम परिणामों, शिक्षकों के क्षमता निर्माण, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ अनुरूपण, बुनियादी अधिगम पर ध्यान केंद्रित करने, योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश की है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/मंत्रालयों के साथ मूल्यांकन अध्ययन और गहन परामर्श की सिफारिशों के आधार पर, योजना के आगे विस्तार के लिए ईएफसी नोट में समग्र शिक्षा के मानदंडों को संशोधित और शामिल किया गया है।

समग्र शिक्षा के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, शिक्षा की पहुंच, समता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यकलाप किए जाते हैं। इसके अलावा, समग्र शिक्षा के तहत, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक (ईबीबी), एलडब्ल्यूई प्रभावित जिले, विशेष फोकस जिले (एसएफडी), सीमा क्षेत्र और 115 आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। समग्र शिक्षा की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- वर्ष 2018-19 से 2019-20 के दौरान, प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर 1140 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, 35 नए आवासीय स्कूल/छात्रावास खोले गए हैं, 25088 स्कूलों को सुदृढ़(अतिरिक्त कक्षाओं सहित) किया गया है, 6.96 लाख स्कूलों को पुस्तकालय की सुविधा प्रदान की गई है, 9.34 लाख स्कूलों को खेल उपकरण की सुविधा प्रदान की गई है, 9563 स्कूलों को आईसीटी और डिजिटल पहल के तहत कवर किया गया है, 4371 स्कूलों को व्यावसायिक शिक्षा के तहत कवर किया गया है, 733 केजीबीवी को आठवीं कक्षा से दसवीं कक्षा तक अपग्रेड किया गया है, 380 केजीबीवी को कक्षा आठवीं से कक्षा बारहवीं तक अपग्रेड किया गया है और लड़कियों के लिए अलग 7154 शौचालयों का निर्माण किया गया है।

- इसके अलावा, 2018-19 के दौरान, 4.78 लाख स्कूल से बाहर बच्चों को प्राथमिक स्तर पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, 4.24 लाख बच्चों को परिवहन और एस्कॉर्ट सुविधा प्रदान की गई है, 16.76 लाख बच्चों को आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) के तहत कवर किया गया है, 6.96 करोड़ बच्चों को निः शुल्क वर्दी प्रदान की गई है, 8.72 करोड़ बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर मुफ्त पाठ्यपुस्तकें प्रदान की गई हैं, 0.74 करोड़ बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया गया है, 14.58 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, 69173 स्कूलों ने लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया है, 3.79 लाख सीडब्लूएसएन लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है और 23183 विशेष शिक्षकों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

- इसके अलावा, वर्ष 2019-20 के दौरान, 5.07 लाख स्कूल से बाहर बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, 6.78 लाख बच्चों को परिवहन और एस्कॉर्ट सुविधा प्रदान की गई है, 21.58 लाख बच्चों को आरटीई अधिनियम धारा 12 (1) (ग) के तहत कवर किया गया है, 6.89 करोड़ बच्चों को निः शुल्क वर्दी प्रदान की गई है, 8.78 करोड़ बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर मुफ्त पाठ्यपुस्तकें प्रदान की गई हैं, 1.76 करोड़ बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया गया है, 28.84 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, 166528 स्कूलों ने लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया है, 3.22 लाख सीडब्लूएसएन लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है और 24030 विशेष शिक्षकों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

*****